भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office
पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in

संख्या: FP/BR/ROAD/40700/2019/121 दिनांक: 27.02.2024

सेवा में,

प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, सिंचाई भवन, सचिवालय,
पटना – 800015.

विषय: नवादा जिलान्तर्गत NH-31 रजौली-बख्तियारपुर (47.723-54.405 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत **10.3680 हे०** वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयक श्रीमान के पत्र संख्या ***व.सं.-46/2019-120 दिनांक 21.02.2024*** के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव से सम्बंधित इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 02.06.2021 के जवाब के जाचोपरांत यह पाया गया की प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन/दस्तावेजों में अभी भी कतिपय खामियां विद्यमान हैं, अतः सक्षम स्तर से प्रस्ताव को प्रसंस्कृत कर निम्नलिखित दस्तावेजो/जानकारी को अपलोड कराने की कृपा करे;

i. As per new Van (Sankashan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sankashan Evam Samvardhan) Rules, 2023, CA area needs to be proposed over equivalent non-forest land (NFL) and accordingly revised CA scheme & all related documents like .kml file of CA, land suitability certificate, map, etc. need to be uploaded on PARIVESH portal.

ii. As per DFO, Nawada's letter no.574 dated 20.02.2024, it has been submitted that the legal status of the proposed forest land for diversion is Reserved Forest (RF) but as per part-II of the proposal at sl. no.2, legal status of the proposed forest land is mentioned as Protected Forest (PF). This needs to be rectified as RF on PARIVESH portal.

iii. The field officials have recommended for construction of flyover in entire stretch of wildlife sanctuary whereas UA has denounced the recommendation citing the exorbitant cost involved. Therefore, a clear opinion of the state government is required whether the proposal is recommended in consonance with the observation of field officers or without it as solicited by the user agency.

iv. NPV calculation needs to be submitted as per orders dated 06.01.2022 & 19.01.2022.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज/जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कारवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित कर अनुगृहित किया जाये|

विश्वासभाजन

(शशि शंकर)
सहायक वन महानिरीक्षक

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह – नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खां मार्ग, पटना-800014.